



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी 2018 ई०

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 15/XXXVI (3)/2018/66(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा—शर्त) विधेयक, 2017’ पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन

(रोजगार विनियमन और सेवा—शर्त)

अधिनियम, 2017

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2018)

दुकानों और स्थापनों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित विधियों को विनियमित, संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए

उत्तराखण्ड राज्य के राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के अङ्गसठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ—** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा—शर्त), अधिनियम, 2017 है।
 (2) यह दस या अधिक कार्मिकों को नियोजित करने वाली दुकानों और स्थापनों को लागू होगा।
 (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. **परिभाषा —** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
 (क) “मुख्य सुकारक” से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त सुकारक अभिप्रेत है;
 (ख) “दिवस” से मध्य रात्रि को आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
 (ग) “नियोक्ता” से ऐसा स्वामी या व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दुकान या किसी स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और इसमें—
 (एक) किसी फर्म या व्यष्टियों के संगम की दशा में फर्म या संगम का कोई भागीदार या सदस्य;
 (दो) किसी कंपनी की दशा में कंपनी का कोई निदेशक;
 (तीन) केंद्रीय सरकार या राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी दुकान या किसी स्थापन की दशा में, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी दुकान या स्थापन के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति सम्मिलित हैं;
 (घ) “स्थापन” से ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी कारखाने या किसी दुकान का परिसर नहीं है—
 (एक) जिसमें कोई व्यापार कारबार, निर्माण या उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक या उसका सहायक कोई कार्य या कोई भी पत्रकारिक या मुद्रण कार्य या बैंककारी, बीमा, स्टाक और शेयर, दलाली या उपज एक्सचेंज का कार्य किया जाता है; या

- (दो) जिसका प्रयोग नाट्यशाला, सिनेमा या सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन के किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, जिसको कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
- (ङ.) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (छ) "दुकान" से ऐसा कोई भी परिसर अभिप्रेत है, जहां माल का खुदरा या थोक द्वारा विक्रय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाती हैं और इसके अंतर्गत कोई कार्यालय, कोई भंडारगृह, गोदाम, भांडागार या कार्यगृह या कार्यस्थल है, जहां तैयार माल का वितरण या पैकिंग या पुनः पैकिंग की जाती है; किन्तु इसके अंतर्गत किसी कारखाने से संलग्न ऐसी दुकान नहीं है, जहां ऐसी दुकान में नियोजित व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन उपबंधित फायदे अनुज्ञात है;
- (ज) "राज्य" का अभिप्राय उत्तराखण्ड राज्य से है;
- (झ) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त होने के लिए समर्थ सभी पारिश्रमिक (वैतन, भत्तों के रूप में या अन्यथा) अभिप्रेत है, जो यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विविक्षित निबंधन पूरे कर दिए जाएं तो किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बावत संदेय होंगे और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—
- (एक) किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते की अधीन या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी आदेश के अधीन संदेय कोई भी पारिश्रमिक;
- (दो) कोई भी पारिश्रमिक, जिसका नियोजित व्यक्ति अतिकालिक कार्य या अवकाश दिन या किसी छुट्टी अवधि की बावत अधिकार है;
- (तीन) नियोजन के निबंधनाधीन व्यक्ति संदेय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक (चाहे बोनस के नाम से या किसी अन्य नाम से);
- (चार) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति के नियोकजन समाप्ति के कारण से किसी ऐसी विधि, संविदा या लिखत के अधीन संदेय है, जो कटौतियों सहित या उसके बिना ऐसी राशि के संदाय का उपबंध करती है;
- (पांच) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन हकदार है; और
- (छ:) मकान किराया भत्ता

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

- (क) कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनाधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है या जो किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन या किसी न्यायालय के किसी भी आदेश के अधीन संदेय नहीं है;
- (ख) किसी आवास या विद्युत, जल प्रदाय, चिकित्सा परिचर्या या अन्य सुख सुविधा का या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

- (ग) किसी पेशन या भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा संदत कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हो;
- (घ) कोई यात्रा या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;
- (ङ.) नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति से उसके द्वारा किए गए विशेष व्ययों को चुकाने के लिए संदत्त कोई रकम;
- (च) उपखंड (चार) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न किसी मामले में नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई उपादान;
- (ज) "सप्ताह" से शनिवार की रात या किसी अन्य रात, जिसका मुख्य सुकारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदन किया जाए, की मध्यरात्रि को आरंभ होने वाले सात दिन की अवधि अभिप्रेत है;
- (ट) "कर्मकार" से किराया या पारिश्रमिक के लिए किसी मानवीय, अदक्ष, दक्ष, तकनीकी, संक्रियात्मक या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विविक्षित, कोई व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन किसी शिक्षु के सिवाय)।
3. कतिपय व्यक्तियों एवं परिसर पर यह अधिनियम लागू नहीं होंगे— (1) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—
- (क) किसी दुकान में या किसी स्थापन में गोपनीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षणीय प्रकृति का पद रखते वाला कोई कर्मकार;
 - (ख) ऐसा कोई कर्मकार, जिसका कार्य अंतर्निहितः आन्तरायिक है;
 - (ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई भी कार्यालय;
 - (घ) भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भी कार्यालय;
 - (ङ) रोगी, शिथिलांग, निराश्रित या मानसिंक रूप से अयोग्य के उपचार या देखरेख के लिए प्रयुक्त कोई स्थापन ; और
 - (च) किसी नियोक्ता के कुटुंब का कोई सदस्य।
- (2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कर्मकारों की सूची दुकान या स्थापन की वेबसाइट पर और वेबसाइट के अभाव में दुकान या स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति सुकारक को भेज दी जाएगी।
4. कतिपय अधिकार एवं विशेषाधिकार, जो इससे प्रभावित नहीं होंगे—इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका कोई कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, अधिनिर्णय, करार, संविदा, रुद्धि या प्रथा के अधीन हकदार है।

अध्याय—2

रजिस्ट्रीकरण और श्रमिक पहचान पत्र संख्या जारी करना

5. दुकानों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण तथा श्रमिक पहचान संख्या जारी करना— (1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर दस या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान और स्थापन, ऐसे प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से, जिसको ऐसी दुकान या स्थापन अस्तित्व में आता है, छह मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे और श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करेंगे।

- (2) दस या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान और स्थापना, ऐसे कतिपय व्यक्तियों और परिसरों को अधिनियम का लागू नहीं होना प्राधिकरण को और ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर दुकान या स्थापन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और श्रमिक पहचान संख्या ऐसे प्रारूप में जारी करेगा, जो विहित किया जाए।
- (4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य—बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुकानों और स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत समझा जाए : परन्तु ऐसी दुकानें और स्थापन, इस अधिनियम के प्रारंभ से छह माह की अवधि के भीतर श्रमिक पहचान संख्या ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेंगे, जो विहित की जाए।

अध्याय—३

नियोक्ता के कर्तव्य

6. महिला कार्यकर्ता के विरुद्ध भेदभाव का निषेध —(1) भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण या प्रोन्नति या मजदूरी के मामलों में किसी महिला कर्मकार के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा।
 (2) किसी महिला से प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे के बीच के समय के सिवाय किसी दुकान या स्थापन में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी दुकान या स्थापन में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु कक्ष, महिला शौचालय, उनकी गरिमा और सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण, यौन उत्पीड़न से संरक्षण और दुकान या स्थापन से उनके निवास स्थान तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह अधिसूचना द्वारा महिला कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसे ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, रात्रि नौ बजे से प्रातः छ बजे की बीच कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

7. स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा —(1) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसके अन्तर्गत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग का निवारण भी है) से संबंधित ऐसे उपाय करेगा, जो विहित किये जाए।
 (2) प्रत्येक नियोक्ता, दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों का बराबर और समुचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए और उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उत्तरदायी होगा।
 8. कार्य के घण्टे को निश्चित करना एवं बढ़ाना—(1) किसी वयस्क कर्मकार से किसी दुकान या स्थापन में किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टे और एक दिन में नौ घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथा किसी कर्मकार से

निरंतर पांच घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा, जब तक उसे आधे घण्टे से अनधिक का विराम न दे दिया गया हो :

- परंतु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा में कार्य के घण्टे या साप्ताहिक विश्राम में सुकान या पूर्व अनुज्ञा से छूट दी जा सकेगी।
- (2) किसी भी दुकान या स्थापन में किसी पाली में कार्य के घण्टों की कुल संख्या, जिसके अंतर्गत विश्राम अंतराल भी है, साढ़े दस घण्टों से अधिक नहीं होगी और उस दशा में, जब किसी कर्मकार को आन्तरायिक प्रकृति का कार्य का अत्यावश्यक कार्य न्यस्त किया गया है, वहां विस्तृति बारह घण्टों से अधिक नहीं होगी।
- (3) एक दिन में नौ घण्टों या किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक किसी कार्य के घण्टों की अतिकालिक समझा जाएगा और अतिकालिक घण्टों की कुल संख्या तीन मास की अवधि में एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं होगी।
- (4) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी,
- (क) उपधारा (1) के अध्यधीन कार्य के उन घण्टों की संख्या नियत करना, जिनसे दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकार के लिए एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतरालों सहित सामान्य कार्य दिवस का गठन होगा :
- (ख) सात दिन की प्रत्येक अवधि में विश्राम के ऐसे दिन का उपबंध करना, जो दुकान या स्थापन में नियोजित सभी कर्मकारों को अनुज्ञात होगा और आराम के ऐसे दिनों की बाबत पारिश्रमिक के संदाय का उपबंध करना :
- (5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसी दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों के निम्नलिखित वर्ग के संबंध में केवल उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे, जो विहित किए जाए, अर्थात् :—
- (क) अत्यावश्यक कार्य या किसी आपात, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या जिसे नहीं रोका जा सकता, में लगे कर्मकार :
- (ख) प्रारंभिक प्रकृति या पूरक काम में लगे कर्मकार, जिसे आवश्यक रूप से नियमों से अधिकथित कार्य के सामान्य घण्टों के पूर्व या पश्चात् किया जाना है :
- (ग) किसी ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो तकनीकी कारणी से दिन समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना है :
- (घ) ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो प्राकृतिक शक्तियों के लिए अनियंत्रित कार्यवाहियों पर निर्भर समयों के सिवाय नहीं किया जा सकता : और
- (ङ.) अत्यधिक दक्ष कर्मकार (ऐसे कर्मकार, जो सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास प्रभाग के स्थापनों में कार्यरत् है।
9. अधिसमय कार्य के लिए मजदूरी – जहां किसी कर्मकार से किसी दिन में नौ घण्टे और एक सप्ताह में अड़तालिस घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर से मजदूरी या ऐसी उच्चतर रकम का हकदार होगा, जो विहित की जाएँ।
10. कार्य की पाली में बदलाव और विश्राम— (1) दुकान या स्थापन का कोई विभाग या विभाग का कोई प्रभाग, नियोक्ता के विवेकानुसार एक पाली से अधिक में कार्य कर सकेगा और यदि ऐसे अधिक पाली में कार्य किया जाता है, तो कर्मचार में नियोक्ता के विवेकानुसार किसी भी पाली में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

- (2) किसी दुकान या किसी स्थापन में किसी सप्ताह में सभी दिन ऐसी शर्तों के अध्यधीन कार्य किया जा सकेगा कि प्रत्येक कर्मकार को विश्राम के कम से कम चौबीस क्रमिक घंटे का साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जागा।
- (3) यदि किसी कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश से इनकार किया जाता है तो उसे ऐसे साप्ताहिक अवकाश के दो मास के भीतर उसके बदले में प्रतिक्रात्मक छुट्टी दी जाएगी।
- (4) ऐसी पाली में कर्मकारों के सभी वर्गों के लिए किसी सप्ताह में कार्य की अवधि और घंटों की सभी कर्मकारों को लिखित में सूचना दी जाएगी और सुकारक को इलेक्ट्रोलिक रूप से या अन्यथा भेजी जाएगी।
- (5) जहां किसी कर्मकार से विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरों के उसकी सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूर का हकदार होगा।

अध्याय—4

छुट्टी और अवकाश

11. वार्षिक छुट्टी, आकस्मिक और बीमारी में छुट्टी एवं अन्य अवकाश— (1) प्रत्येक कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश मजदूरी सहित अनुज्ञात होगा :

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा दुकानों और स्थापनों के विभिन्न दरों या क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनों की साप्ताहिक अवकाश के रूप में नियत कर सकेगी।

- (2) प्रत्येक कर्मकार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आठ दिन के आकस्मिक अवकाश का मजदूरी सहित हकदार होगा, जिसे कर्मकार के खाते में तिमाही आधार पर जमा किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक ऐसा कर्मकार, जिसने एक कलेण्डर वर्ष के दौरान किसी दुकान या स्थापन में 240 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्य किया है, उसे पश्चात्वर्ती कलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा पूर्व कलेण्डर वर्ष के दौरान किये गये कार्य के प्रत्येक 20 दिन के लिए एक दिन की दर से संगणित संख्या के दिनों के लिए मजदूरी सहित छुट्टी की अनुज्ञा दी जायेगी।
- (4) प्रत्येक कर्मकार को अधिकतम 45 दिन तक अर्जित छुट्टी संचित करने की अनुज्ञा होगी।
- (5) जहां नियोक्ता 15 दिन पहले आवेदन की गयी देय छुट्टी से इंकार करता है, वह कर्मकार को 45 दिन से अधिक की छुट्टी को भुनाने का अधिकार होगा :

परंतु यदि कोई कर्मकार इस धारा के अधीन छुट्टी का हकदार है, उसके नियोक्ता द्वारा उसकी छुट्टी अनुज्ञात किये जाने से पहले या यदि आवेदन किया है और छुट्टी से इंकार कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या स्थायी असमर्थता के कारण वह अपना नियोजन छोड़ देता है, तो नियोक्ता उसको देय छुट्टी की अवधि के लिए उसे पूरी मजदूरी का संदाय करेगा।

- (6) कोई कर्मकार एक कलेण्डर वर्ष में 8 वैतनिक उत्सव अवकाश का हकदार होगा, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती तथा 05 ऐसे उत्सव अवकाश, जिसपर वर्ष के प्रारम्भ से पहले निये गए कर्मकारों के बीच सहमति हो।
- (7) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए—

- (क) करार या संविदा द्वारा अथवा आदर्श स्थायी आदेशों या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के किसी दिन :
- (ख) महिला कर्मकार की दशा में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश :
- (ग) उस वर्ष से पूर्व में अर्जित अवकाश, जिसमें का उपभोग किया गया है : या
- (घ) कर्मकार के नियोजन से उद्भुत दुर्घटना द्वारा और उसके नियोजन के दौरान कारित हुई अस्थाई असमर्थता के कारण कर्मकार की अनुपस्थिति को ऐसे दिनों के रूप समझा जायेगा, जिनके कर्मकार ने 240 या अधिक दिन की अवधि की, संगणना के प्रयोजन के लिए कर्मकार ने दुकान या स्थापन में कार्य किया है, किन्तु वह उन दिनों के लिए छुट्टी अर्जित नहीं करेगा।
- (८) उपधारा (३) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी सभी अवकाश दिनों के अतिरिक्त होगी चाहे छुट्टी की अवधि के दौरान या उसके आरम्भ में या उसके पश्चात् आते हो।

अध्याय—५

कल्याणकारी उपबन्ध

12. **पीने का पानी** — प्रत्येक नियोक्ता दुकान या स्थापन में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रूप से अवस्थित उपयुक्त स्थानों पर पेयजल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था और अनुरक्षण के लिए प्रभावी इंतजाम करेगा।
13. **शौचालय एवं मूत्रालय** — प्रत्येक नियोक्ता पुरुष और महिला के लिए ऐसे पर्याप्त शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था करेंगा, जो विहित किये जाएं, जो इतने सुविधाजनक रूप से अवस्थित होंगे, जो दुकान या स्थापन में नियोजक कर्मकारों की पहुंच में हो :
- परंतु उस दशा में जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या स्थापन में ऐसा करना सम्भव नहीं हो तो कोई नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा।
14. **शिशुगृह सुविधा** — प्रत्येक ऐसी दुकान या स्थापन में जहां 03 या अधिक महिला कर्मकार या 50 या अधिक कर्मकार सामान्यता नियोजित है, वहां ऐसी महिला कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु—कक्ष के रूप में उपयुक्त कक्ष या कक्षों की व्यवस्था और अनुरक्षण किया जायेगा
- परन्तु यदि दुकानों या स्थापनों का कोई समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु कक्ष की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक द्वारा, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिर्दिश्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा।
15. **प्राथमिक उपचार** — प्रत्येक नियोक्ता कार्य स्थल पर ऐसी प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाए।

16. जलपान गृह – राज्य सरकार, नियोक्ता से ऐसी दुकान या स्थापन में, जिसमें सौ से अन्यून कर्मकार नियोजित या सामान्यतया नियोजित हैं, उसके कर्मकारों के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था और अनुरक्षण की अपेक्षा करेगी:

परन्तु दुकान या स्थापनों का कोई समूह सामूहिक कक्षा की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा।

अध्याय 6

सुकारक और उनकी शक्तियाँ और कृत्य

17. मुख्य सुकारक और सुकारकों की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियाँ— (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित अर्हता रखने वाले सुकारकों की ऐसे व्यक्तियों को सुकारक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मुख्य सुकारक नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य सुकारक को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में किसी सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

- (2) राज्य सरकार, दुकानों और स्थापनों के निरीक्षण के लिए ऐसी स्कीम विहित कर सकेगी, जिसमें वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची को सूजित करने का उपबंध होगा।
 (3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक सुकारक और मुख्य सुकारक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और वह शासकीय रूप से ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।
 (4) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया हैः—

(एक) नियोक्ताओं और कर्मकारों को सलाह दे सकेगा और उन्हें ऐसी सूचना उपलब्ध करा सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं,

(दो) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण के लिए स्कीम के अनुसार दुकान और स्थापन का निरीक्षण कर सकेगा और—

(क) ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, जो दुकान या स्थापन के किसी परिसर में पाया जाता है और जिसे दुकान या स्थापन का कर्मकार होने का विश्वास करने के बारे में सुकारक के पास युक्तियुक्त कारण है,

(ख) किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे व्यक्तियों के नामों और पतों की बाबत देने की शक्ति है,

(ग) ऐसे रजिस्टर मजदूरी के अभिलेख या सूचना या उसके भागों की तलाशी ले सकेगा, उनको अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जिसे सुकारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत सुसंगत समझता है और जिसका सुकारक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह नियोक्ता द्वारा किया गया है,

- (घ) तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन न आने वाले दोषों और कमियों को राज्य सरकार के संज्ञान में ला सकेगा ; और
- (ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो विहित की जाए,
- परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को उसे अपराध में फंसाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर या कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- (5) उपधारा (4) के अधीन सुकारक द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई सुचना देने के लिए अपेक्षित किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थात् इस प्रकार देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा।
- (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (4) के खण्ड (दो) के उपखण्ड(ग) के अधीन ऐसी तलाशी और अभिग्रहण को यथासाध्य ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट के प्राधिकारी के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

अध्याय 7 अभिलेख और विवरणियां

18. रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव –(1) प्रत्येक नियोक्ता ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित किए जाएं,
- (2) अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक्स दस्ती/नियम पुस्तक रूप में रखा जा सकेगा;
- परन्तु किसी सुकारक द्वारा निरीक्षण के समय, यदि ऐसे अभिलेख की सपठनीय प्रति की मांग की जाती है, तो वह नियोक्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
19. वार्षिक विवरणी –किसी दुकान या प्रतिष्ठान के प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रारूप और तरीक में (इलेक्ट्रॉनिक फार्म सहित) में वार्षिक विवरण ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किए जाए।

अध्याय 8 अपराध और शास्तियां

20. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति – (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन वह ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन निरन्तर रहता है, दो हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

परन्तु यह कि जुर्माने की कुल रकम नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

- (2) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उसी उपबंध के उल्लंघन या अनुपालना की असफलता वाले किसी अपराध का फिर से दोषी होता है तो वह किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने

से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

21. इस अधिनियम के पंजीयन आदि के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना –जैसा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन का दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गंभीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाले कोई दुघर्टना हुई है, ऐसे कारवास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।
22. रजिस्टर इत्यादि उपबंध कराने में बाधा डालने या इंकार करने के लिए शास्ति – (1) जो कोई किसी दुकान या स्थापन के संबंध में किसी सुकारक को उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में जानबूझकर बाधा डालता है या सुकारक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रधिकृत कोई निरीक्षण परीक्षा, जांच या अन्वेषण करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करने से इंकार करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा :
 (2) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी सुकारक द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत करने से जानबूझकर इंकार करता है या सुकारक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने से रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है या ऐसा कार्य करता है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा वह सुकारक के समक्ष किसी व्यक्ति को उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षा किए जाने से रोकता है ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रूपए का हो सकेगा, दंडनीय होगा :
 परन्तु जुर्माने की कुल रकम नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगी।
23. अपराधों का संज्ञान – (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक उस तारीख से, जिसको अभिकथित अपराध का किया जाना सुकारक के ज्ञान में आए, तीन मास के भीतर इस बाबत शिकायत नहीं कर दी गई हो और शिकायत सुकारक द्वारा फाइल नहीं की गयी हो :
 परन्तु जहां अपराध किसी सुकारक द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा का है, वहां उसकी शिकायत उस तारीख से, जिसको अपराध किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर की जा सकेगी।
 (2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय नहीं करेंगा।
24. अपराधों की प्रशमन – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी ऐसे अपराध का शमन, जो केवल कारवास से या जो कारवास और जुर्माने से, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पर्याय या पश्चात अभियक्त व्यक्ति के आवेदन पर, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जिसे

- समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिश्ट करें, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिष्ठत राशि के साथ कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा—
- (क) उसी प्रकार का अपराध किए जाने की तारीख से, जिसका पूर्व में शमन किया गया था,
 - (ख) उसी प्रकार का अपराध किए जाने की तारीख से, जिसके लिए पूर्व में ऐसा व्यक्ति दौषसिद्ध किया गया था,
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शास्ति का प्रयोग राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।
- (4) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसा रीति में किया जाएगा। जो विहित की जाए।
- (5) यदि किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पहले किया जाता है, तो ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।
- (6) जहां किसी भी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लंबित हैं और अपराध के शमन का इस प्रकार ध्यान में लाए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।
- (7) कोई भी व्यक्ति जो अपराध, (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल होता है, तो ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।
- (8) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

25. **सद्भावना में लिया गया कार्यवाही का संरक्षण** —इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक या केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में ऐसे किसी लोक सेवक के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित नहीं की जायेगी।
26. **छूट देने के लिए शक्ति** —यदि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित सशक्ति कोई अधिकारी, किसी दुकान या स्थापन या उसके किसी वर्ग या किसी नियोक्ता या कर्मकार या नियोक्ता या कर्मकारों के वर्ग को, जिन्हे यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक समझे इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधो से छूट दे सकेगी

27. अन्य कानूनों का प्रतिषिद्ध न होना – इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
28. नियम बनाने के लिए शक्ति – (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
 (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–
 (क) प्राधिकारी, जिसको और प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा ३ की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाएगा, उपधारा (3) के अधीन श्रमिक पहचान संख्या तथा उपधारा ४ के अधीन श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की रीति ;
 (ख) धारा ७ की उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों के स्वास्थ्य व सुरक्षा (जिसके अन्तर्गत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग की रोकथाम भी हैं) के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले उपाय ;
 (ग) धारा ८ की उपधारा (4) के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किये जाने विषय ;
 (घ) धारा ८ की उपधारा (5) के अधीन वह शर्त, जिसके अध्यधीन कर्मकारों के कतिपय वर्ग को उस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे;
 (ड.) धारा ९ के अधीन मजदूरी की उच्चतर रकम की दर;
 (च) धारा १३ के अधीन पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों का उपबंध तथा धारा १५ के अधीन प्राथमिक उपचार सुविधा का उपबंध;
 (छ) धारा १७ की उपधारा (1) के अधीन सुकारक के अहताए, वे शर्तें जिनके अध्यधीन सुकारक उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियों का और उपधारा (4) के खंड (पप) के उपखंड (ड.) के अधीन प्रयोक्तव्य अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगा;
 (ज) धारा १८ की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख ;
 (झ) धारा १९ के अधीन वार्षिक विवरण दिये जाने का प्ररूप और रीति (जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक रूप भी है) तथा वह प्राधिकारी, जिसको ऐसी विवरणी दी जायेगी ;
 (ञ) धारा २४ की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति और उपधारा (4) के अधीन ऐसे शमन के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;
 (ट) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ;
 (३) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ।
29. कठिनाईयों का दूर करने के लिए शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजप्रत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

30. **निरसन और व्यावृत्ति-** (1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त को उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के निरसन होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कि गई किसी कार्यवाही को, जहां तक ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(3) इस धारा में विशिष्ट विषयों के उल्लेख को, निरसन के प्रभाव की बाबत साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करना अभिनिधारित नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 15/XXXVI(3)/2018/66(1)/2017

Dated Dehradun, January 05, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 2017**' (Adhiniyam Sankhya 03 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03 January, 2018.